न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :—श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—117 / 2023

प्रार्थीगणः:—

1. जोगसिंह पुत्र हनुवंतसिंह
2. देवीसिंह पुत्र हनुवंतसिंह
3. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी रामसिंह
4. भंवरसिह पुत्र शिवसिह
5. सुमेरसिंह पुत्र रामसिंह
6. हिन्दुसिंह पुत्र छैलसिंह
7. नाबालिग महावीरसिंह पुत्र छैलसिह सरंक्षक सरपरस्त माता सुशीलाकंवर
   जाति राजपूत निवासी जेतमालनगर, सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:—

1. ईश्वरसिंह पुत्र भीखसिंह
2. श्रीमती गोपकंवर पत्नी हरीसिह
3. दलपतसिंह पुत्र भीखसिह
4. पेपसिंह पुत्र भीखसिंह
5. श्रीमती रसालकवंर पत्नी भीखसिंह
6. सुमेरसिंह पुत्र भीखसिह
7. हडवंतसिंह पुत्र किशनसिंह
8. हरीसिंह पुत्र किशनसिंह
   जाति राजपूत निवासी जेतमालनगर, सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी सिवाना
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

—::आदेश::— दिनांकः— 04.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 31 रकबा 5—1557 हैक्टेयर ग्राम जेतमालनगर पटवार हल्का सिणेर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त खसरे की पूर्वी सी[illegible]ती विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि ख.स. 30 रकबा 2—5981 हैक्टेयर [illegible] हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के साथ [illegible]स्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) [illegible] रंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयंत्र लाता ले जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 1 से 8 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा जेतमालनगर अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 31 रकबा 5—1557 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 8 की खातेदारी भूमि ख.सं. 30 रकबा 2—5981 की पूर्वी सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित लम्बाई 75 गट्टा (150 मीटर) व चौडाई 2 गटटा (4 मीटर) भूमि, जो ख.सं. 30 की पूर्वी सीमा की है, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 31 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 30 मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के [illegible] संख्या 31 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। विप्रार्थी [illegible] प्रभावित खसरे की DLC दर 290377/— प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते में [illegible] भूमि की लम्बाई 75 गट्टा (150 मीटर) व चौडाई 2 गटटा (4 मीटर) रकबा 0-[illegible]00 हैक्टेयर है। प्रभावित रकबे की राशि 34845/—रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जेतमालनगर तहसील सिवाना की ख.सं. 31 रकबा 5–1557 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 8 की खातेदारी भूमि खं.सं. 30 रकबा 2–5981 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा की तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 75 गट्ठा, चौड़ाई 2 गट्ठा एवं रकबा 0–0600 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 34845/– राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व /2023/2493 दिनांक 06.09.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 20/09/2023 04:17:52 PM

...मेर तहसील : सिवाना भू. अ. नि. क्षेत्र : धारणा

...णेर ग्राम : जेतमालनगर

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना के राजस्व आवेदन संख्या 117/2023 अनवान जोगसिंह बनाम ईश्वरसिंह अन्तर्गत धारा 251 ए RTA हेतु

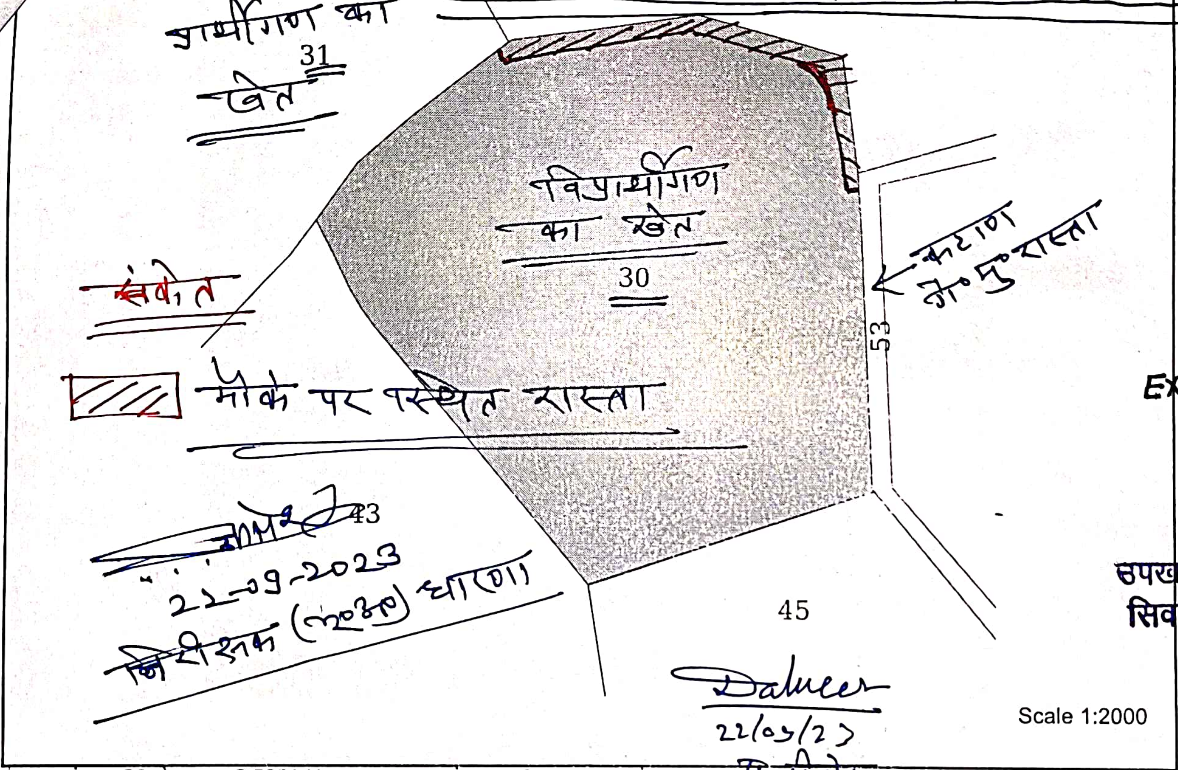

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

खसरा संख्या :30 क्षेत्रफल : 2.5981 Hectare खाता संख्या : 8पुराना खाता संख्या :116

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: रेतली [2.5981, 4.01]

1.) ईश्वरसिह पुत्र भीखसिह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

2.) गोपकंवर पत्नि हरीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

3.) दलपतसिह पुत्र भीखसिह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

4.) पेपसिह पुत्र भीखसिह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

5.) रसालकवर पत्नि भीखसिह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

6.) सुमेरसिह पुत्र भीखसिह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

7.) हडवंतसिंह पुत्र किशनसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पादरू

8.) हरीसिंह पुत्र किशनसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

सत्य प्रतिलिपि

राजकीय सूचनार्थ

पटवारी सिणेर

सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर एवं सील

तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024...17:...
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।